कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध–आदेश//

(कार्य–विभाजन में संशोधन)

क्रमांक 148 /
दो–1–1/2000

रीवा, दिनांक 01 /07/2026

कार्यालय आदेश कमांक 425/दो–12–37/25 रीवा दिनांक 25.06.2026 के द्वारा श्रीमती आरती सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा को दिनांक 29.06.2026 से 12.07.2026 तक कुल 14 दिवस का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 13.07.2026 से 08.01.2027 तक कुल 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा–15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–8 की उपधारा–7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 448/दो–1–1/2000 दिनांक 22.07.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :–

01. सरल कमांक 24 के स्तम्भ कमांक 02 श्री दयाराम कुमरे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के स्तम्भ कमांक 03 ''सत्र खण्ड'' में एवं स्तम्भ क0–4 की कंडिका कमांक 02 लगायत 04 को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

2–तहसील त्योंथर के थाना **अंतरैला, जनेह, जवा, त्योंथर** के अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योंथर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है।

3–तहसील त्योंथर के थाना **अंतरैला, जनेह, जवा, त्योंथर** क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र।

4–त्यौंथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण।

02. सरल कमांक 25 के स्तम्भ कमांक 02 श्री वैभव सक्सेना, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के स्तम्भ कमांक 03 ''सत्र खण्ड'' में एवं स्तम्भ क0–4 की कंडिका कमांक 02 लगायत 04 को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

2–तहसील त्योंथर के **थाना पनवार, डभौरा, सोहागी, गढ एवं चाकघाट** के अधिका. रिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योंथर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है।

3–तहसील त्योंथर के **थाना पनवार, डभौरा, सोहागी, गढ एवं चाकघाट** क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र।

4–त्यौंथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण।

03. सरल कमांक–29 के स्तम्भ कमांक–2 ''द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा' के स्तम्भ कमांक–4 की कंडिका कमांक–02 एवं 03 पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

04. सरल कमांक–33 के स्तम्भ कमांक–2 ''पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा'' के स्तम्भ कमांक 03 में सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान तथा स्तम्भ कमांक–04 की कंडिका कमांक–05 के पश्चात् 06 एवं 07 निर्मित करते हुए निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है:–

6–**माह जुलाई एवं अगस्त** में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

7–**माह जुलाई एवं अगस्त** में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 3312 / रीवा, दिनांक 01/06/2026
दो–1–1/2000

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/त्योंथर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)